प्रपत्र VII

बिहार सरकार,

समाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार

प्रारंभिक अधिसूचना

(अधिनियम–30 / 2013 की धारा–11(1) के अधीन)

पत्रांक 1462 / जि.भू–अर्जन, किशनगंज, दिनांक 15/02/18

चूँकि समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजन यथा परियोजना **"डा. कलाम कृषि महाविद्यालय, किशनगंज के निर्माणाधीन परिसर से पानी की आंशिक निकासी हेतु Launching Apron के निर्माण कार्य के लिये''** किशनगंज जिला अंतर्गत अंचल–पोठिया के ग्राम–दरीगॉव, थाना नं.–70 में 0.31963 एकड़ एवं ग्राम–अर्राबाड़ी, थाना नं0–176 में 0.31325 एकड़ कुल 0.63288 एकड़ (तिरसठ डी. दौ सौ अठ्ठासी वर्ग कड़ी) भूमि अपेक्षित है।

इस भू–अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं होते है। उक्त मानकमाप से कमोवेश कुल 0.63288 एकड़ (तिरसठ डी. दौ सौ अठ्ठासी वर्ग कड़ी) भूमि जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित हैः–

क्र	मौजा का नाम / थाना नं	खाता संख्या	सर्वे भूखंड संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्र (एकड़ में)	भू–धारी का नाम व पता	सीमा (भूखंड संख्या)			
								उ.	द.	पू.	प.
1	दरीगॉव / 70	32	180	रैयती	कृषि योग्य	0.02850	मोहम्मद सलीम, पिता–नियामत अली, सा.–दरीगॉव वो इसहाक, पिता–कमरूदीन वो अबसार आलम, पिता–असीरूदीन, सा.–दरीगॉव	कृषि कॉलेज	रास्ता	खेसरा सख्या–180	कृषि कॉलेज दिवार
2	तदैव	35	173	रैयती	कृषि योग्य	0.00825	अबसार आलम, पिता–असीरूदीन, सा. –दरीगॉव	नुरूल	खेसरा सख्या–174	अबसार आलम	कृषि कॉलेज दिवार
3	तदैव	5	177	रैयती	कृषि योग्य	0.01000	अब्दुर रहमान, पिता–स्व. वाजीउद्दीन, सा.–दरीगॉव	बि. सरकार	बि. सरकार	मुजीबुर रहमान	कृषि कॉलेज दिवार
4	तदैव	14	168	रैयती	कृषि योग्य	0.01150	नुरूल इस्लाम, पिता–जलील, सा. –दरीगॉव	मुजीबुर रहमान	अबसार आलम	नुरूल	कृषि कॉलेज दिवार
5	तदैव	4	14	रैयती	कृषि योग्य	0.01000	इसहाक, पिता–कमरूदीन, सा.–दरीगॉव वो अबसार आलम, पिता–असीरूदीन, सा.–दरीगॉव	खेसरा सख्या–13	अबसार आलम	अबसार आलम	कृषि कॉलेज दिवार
6	तदैव	4	15	रैयती	कृषि योग्य	0.02720	इसहाक, पिता–कमरूदीन, सा.–दरीगॉव वो अबसार आलम, पिता–असीरूदीन, सा.–दरीगॉव	अबसार आलम	अबसार आलम	अबसार आलम	कृषि कॉलेज दिवार
7	तदैव	61	20	रैयती	कृषि योग्य	0.01620	रज्जाक, पिता–मिरशेद अली, सा. –दरीगॉव	अबसार आलम	अख्तर	अबसार आलम	कृषि कॉलेज दिवार
8	तदैव	54	21	रैयती	कृषि योग्य	0.02250	लुकमान, पिता–बशीरूदीन वो दिदार बक्स, पिता–खुरशेद वो इसहाक, पिता–कमरूदीन वो अबसार, पिता–असीरूदीन वो अब्दुर रहमान, पिता–स्व. वाजीउद्दीन, सा.–दरीगॉव	अबसार आलम	खेसरा सख्या–33	अख्तर	कृषि कॉलेज दिवार
9	तदैव	22	34	रैयती	कृषि योग्य	0.03523	मजहरूल इस्लाम, पिता–स्व. तफेजुल, सा.–दरीगॉव वो अफरून निशा, पति–शाहबुद्दीन, पिता–हफीजुद्दीन, सा. –दरीगॉव वो इसरारूल हक, पिता–स्व. तफेजुल	कृषि कॉलेज दिवार	हफीजुद्दीन वो अबसार	मजहरूल	कृषि कॉलेज दिवार
10	तदैव	78	35	रैयती	कृषि योग्य	0.02125	दिदार बक्स, पिता–खुरशेद वो इसहाक, पिता–कमरूदीन वो अबसार पिता–असीरूदीन वो अब्दुर्रहमान, पिता–वाजीउद्दीन, सा.–दरीगॉव	नुरूल	खेसरा सख्या–174	अबसार आलम	कृषि कॉलेज दिवार
11	तदैव	14	142	रैयती	कृषि योग्य	0.02200	नुरूल इस्लाम, पिता–जलील, सा. –दरीगॉव	निजामुद्दीन	खेसरा सख्या–154	अबसार आलम	कृषि कॉलेज दिवार
12	तदैव	55	143	रैयती	कृषि योग्य	0.01100	दिदार बक्स, पिता–खुरशेद अली, सा. –दरीगॉव	कृषि कॉलेज दिवार	मुजीबुर रहमान	खेसरा सख्या–154	कृषि कॉलेज दिवार
13	तदैव	55	155	रैयती	कृषि योग्य	0.00700	दिदार बक्स, पिता–खुरशेद अली, सा. –दरीगॉव	कृषि कॉलेज दिवार	मुजीबुर रहमान	खेसरा सख्या–154	कृषि कॉलेज दिवार
14	तदैव	29	156	रैयती	कृषि योग्य	0.02200	इसहाक, पिता–कमरूदीन, सा.–दरीगॉव वो अबसार आलम, पिता–असीरूदीन, सा.–दरीगॉव	कृषि कॉलेज दिवार	बि. सरकार	अबसार आलम	कृषि कॉलेज दिवार
15	तदैव	55	160	रैयती	कृषि योग्य	0.00400	दिदार बक्स, पिता–खुरशेद अली, सा. –दरीगॉव	बि. सरकार	मुजीबुर रहमान	असीरूदीन	कृषि कॉलेज दिवार

	तदैव	55	161	रैयती	कृषि योग्य	0.03000	दिदार बक्स, पिता–खुरशेद अली, सा –दरीगॉव	असीरु दीन	नुरुल	मुजीबुर रहमान	कृषि कॉल दिवार
17	तदैव	32	182	रैयती	कृषि योग्य	0.02300	मोहम्मद सलीम, पिता–नियामत अली, सा.–दरीगॉव वो इसहाक, पिता–कमरूद्दीन, सा.–दरीगॉव वो अबसार आलम, पिता–असीरुद्दीन, सा. –दरीगॉव	रास्ता	रास्ता	अबसार आलम	कृषि कॉल दिवार
18	तदैव	37	199	रैयती	कृषि योग्य	0.01000	मसीरूद्दीन वो हनीफ, पिता–अजीबुल, सा.–दरीगॉव	निज	निज	निज	निज
19	अर्राबाडी / 176	29	633	रैयती	कृषि योग्य	0.06225	तमीजुद्दीन, पिता–अहमद हुसैन वो नईम, पिता–फजीलत वो साहीदुर्रहमान, पिता–राहत हुसैन वो तालीम हुसैन, पिता–अ. लतीफ, सा.–अर्राबाडी	साहीदुर	तमीजुद्दीन	तमीजुद्दीन	कृषि कॉल दिवार
20	तदैव	29	632	रैयती	कृषि योग्य	0.03750	तमीजुद्दीन, पिता–अहमद हुसैन वो नईम, पिता–फजीलत वो साहीदुर्रहमान, पिता–राहत हुसैन वो तालीम हुसैन, पिता–अ. लतीफ, सा.–अर्राबाडी	बि. सरकार	तनवीर	तमीजुद्दीन	कृषि कॉल दिवार
21	तदैव	40	635	रैयती	कृषि योग्य	0.04850	तनवीर आलम ईत्यादि, पिता–गुलाम मोईजोउद्दीन, सा.–अर्राबाडी	बि. सरकार	बि. सरकार	तनवीर	कृषि कॉल दिवार
22	तदैव	107	1777	रैयती	कृषि योग्य	0.02250	तफेजुल, पिता–यार मोहम्मद वो ताहीर, सा.–अर्राबाडी	मनीरूद्दीन	बि. सरकार	तफेजुल	कृषि कॉल दिवार
23	तदैव	128	1751	रैयती	कृषि योग्य	0.12000	मो. उसमान, पिता–कालु मोहम्मद, सा. –अर्राबाडी	बि. सरकार	मो. उसमान	मो. उसमान	कृषि कॉल दिवार
24	तदैव	95	1763	रैयती	कृषि योग्य	0.02250	मनीरूद्दीन वो हनीफ, पिता–अजीबुल, सा.–अर्राबाडी	मो. उसमान	तफेजुल	मनीरूद्दीन	कृषि कॉल दिवार
					कुल रकवा (एकड़ में)	**0.63288**					

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ए पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा–11(1) के उपबंधों अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी किशनगंज के कार्याल में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। बिहार सरकार/समाहर्त्ता–सह–समुचित सरक उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबधिंत एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षि किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रंविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभू खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू–अज पदाधिकारी किशनगंज और उनके कर्मचारी को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्व अनुमोदन बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण य क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम उत्पन्न करेगा।

चूँकि उक्त भूमि परियोजना हेतु तुरंत अपेक्षित है, अतएव राज्य सरकार ने अधिनिय की धारा 40(4) के अधीन सामाजिक प्रभाव मुल्यांकन अध्ययन कार्यान्वित नहीं करने का विनिश्चय कि है। अधिनियम की धारा 15 के उपबंध इस भू–अर्जन पर लागू नहीं होंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश स

15/07/18

समाहर्त्ता–सह–समुचित सरक
किशनगंज।

ज्ञापांक 1462 /भू–अर्जन, किशनगंज पटना, दिनांक 15/02/18

प्रतिलिपिः: निदेशक, भू–अर्जन निदेशालय, बिहार, पटना को प्रारंभिक अधिसूचना की प्रति के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः: निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को प्रारंभिक अधिसूचना की तीन प्रतियाँ सहित (दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो) प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, किशनगंज को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः: आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णियाँ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः: उप समाहर्त्ता प्रभारी, जिला गजट, किशनगंज को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एंव प्रकाशित जिला गजट की दस–दस (10–10) प्रतियॉ जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, किशनगंज को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः: जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, किशनगंज को प्रारंभिक अधिसूचना की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15/02/18

समाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार,
किशनगंज।